कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
अभियंत्रण अनुभाग,
कृषि भवन, लखनऊ

पत्रांक–अभि0/ 482 /कम्पनी पत्रा0/2026–27, दिनांक 12/05/2026

प्रबन्ध निदेशक,
समस्त निर्माता कम्पनी

दिनांक 08.05.2026 को संयुक्त सचिव (एम0 एण्ड टी0 डिवीजन), भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है, कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में रू0 1.00 लाख से अधिक मूल्य वाले समस्त सेल्फ प्रोपेल्ड कृषि मशीन में ए0आई0 टेलिमेटिक्स किट्स लगाया जाना अनिवार्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 2026–27 में रू0 1.00 लाख से अधिक मूल्य की समस्त सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनों में ए0आई0 पावर्ड टेलिमेटिक्स किट अन्तर्निहित (Inbuilt) करना सुनिश्चित करें। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो आपकी कम्पनी को उत्तर प्रदेश राज्य में अनुदान पर विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

Digitally signed by
NARENDRA KUMAR
Date: 12-05-2026
16:19:44

संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण),
कृषि भवन, लखनऊ

पत्रांक–अभि0/ /कम्पनी पत्रा0/2026–27, दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि :–

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. हैदराबाद मेपसेट्स इण्डिया, बी–329/मैपसेट्स, 13/19 आर0बी0सी0, नन्जल राय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित समस्त कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित करने का कष्ट करें।

संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण),
कृषि भवन, लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner